राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा शिक्षा

क्रमांक प. 7(86)सीएम/एचएम/बजट/डीएमई/एकेड/2015/ 8000 जयपुर, दिनांक: 12.07.2022

आदेश

राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर एवं सुपर–स्पेशियलिटी कोर्स करने वाले अभ्यार्थियों से वर्तमान में कोर्स पूर्ण होने के पश्चात 5 वर्ष राजकीय सेवा करने हेतु 25 लाख रूपयें राशि का सेवा बन्धपत्र भरवाया जाता है। उपरोक्त सेवा बन्धपत्र की अवधि, राशि एवं लागू करने की प्रक्रिया के बारे में पूर्व में समय–समय पर जारी समस्त निर्देशों को समेकित एवं संशोधित करते हुये निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते है :–

1. राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर एवं सुपर–स्पेशियलिटी कोर्स पूर्ण करने के उपरांत सभी छात्र/छात्राओं से राज्य में राजकीय सेवा दी जानी अपेक्षित है। वर्तमान में इस हेतु 05 वर्ष की अवधि को घटाया जाकर इसे 02 वर्ष किया जाता है। बन्धपत्र की राशि पूर्वानुसार 25 लाख रूपयें ही रहेंगी। तद्नुसार शैक्षणिक सत्र 2022–23 में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर एवं सुपर–स्पेशियलिटी कोर्स में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं से 02 वर्ष की राजकीय सेवा प्रदान करने हेतु 25 लाख रूपयें का सेवा बन्धपत्र प्राप्त किया जावें।
2. राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर एवं सुपर–स्पेशियलिटी कोर्स में वर्तमान में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु भी उपरोक्त बन्धपत्र अवधि को 02 वर्ष किया जाता है।
3. स्नातकोत्तर एवं सुपर–स्पेशियलिटी कोर्स पूर्ण होने पर छात्र/छात्राओं को 02 वर्ष के लिये राज्य सरकार/राजमेस/आरयूएचएस के अधीन निम्नानुसार विभिन्न पदों पर राजकीय सेवा देने हेतु बन्धपत्र की शर्तो के अनुसार बाध्य किया जा सकता है :–
   - चिकित्सा महाविद्यालयों में सीनियर रेजिडेन्ट
   - चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक आचार्य (सीनियर रेजिडेन्टशिप पूर्ण करने के पश्चात)
   - चिकित्सा महाविद्यालयों में जूनियर रेजिडेन्ट/सीनियर डेमोस्ट्रेटर
   - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अधीन चिकित्सा अधिकारी
4. प्रतिवर्ष राजकीय मेडिकल कॉलेजों से पासआउट स्नातकोत्तर एवं सुपर–स्पेशियलिटी कार्से छात्र/छात्रओं की सूचना निदेशालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा कोर्स समाप्त से पूर्व यथा समय, सामान्यतः 02 माह पूर्व, प्राप्त की जायेंगी।
5. निदेशालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा इन पासआउट होने वाले छात्र/छात्राओं से बन्धपत्र की शर्तो के अनुसार नियुक्ति दिये जाने के लिये रिक्त पदों की सूचना संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें से कोर्स समाप्त होने के 02 माह पूर्व प्राप्त की जायेगी।
6. राज्य सरकार राजमेस एवं आरयूएचएस के अधीन चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों में उपरोक्तानुसार रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्राथमिकता का निर्धारण भी निदेशालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा समक्ष स्तर से अनुमति प्राप्त कर किया जावेगा। अर्थात निदेशालय चिकित्सा शिक्षा यह विनिश्चित करेगा कि उपलब्ध अभ्यार्थियों में से इन पदों में से कौन–कौन से पदों को सर्वोच्च प्राथमिकता से भरा जाना है। यह तात्कालिक आवश्यकताओं यथा–चिकित्सा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय मेडिकल आयोग के

मापदण्डानुसार पदों पर नियुक्ति, रिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पदस्थापन करने की आवश्यकता आदि के आधार पर किया जावेगा।

7. उपरोक्तानुसार रिक्त पदों पर पदस्थापन हेतु स्नातकोत्तर एवं सुपर–स्पेशियलिटी कोर्स उत्तीर्ण हो रहे छात्र/छात्राओं से विकल्प प्राप्त किये जायेंगे। छात्र/छात्राओं को नीट परीक्षा में उनकी रेंक के आधार पर मैरिट का निर्धारण करते हुये मैरिट के आधार पर विकल्प अनुसार नियुक्ति प्रदान की जावेगी।
8. इस सम्पूर्ण प्रक्रिया को सम्पादित करने के लिये चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा काउन्सिलिंग बोर्ड का गठन किया जावेंगा, जो इस प्रक्रिया को सम्पादित कर अभ्यार्थियों के पदस्थापन हेतु अभिशंषा निदेशालय चिकित्सा शिक्षा को प्रस्तुत करेंगा। उपरोक्त अभिशंषा के अनुसार नियुक्ति आदेश संबंधित नियुक्ति अधिकारी यथा–प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, निदेशक, जनस्वास्थ्य अथवा अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये जावेगे।
9. विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों अथवा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में रिक्त पदों की सूची, संख्या का निर्धारण करते समय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण का भी ध्यान रखते हुये विभिन्न आरक्षित वर्गो के लिये राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार सीट आरक्षित की जावेंगी एवं इन आरक्षित सीटों पर संबंधित आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों को नियुक्ति प्रदान की जावेगी।
10. स्नातकोत्तर कोर्स पूर्ण करने के उपरांत सीनियर रेजिडेन्ट के पद पर नियुक्त होने वाले अभ्यर्थी 01 साल की अवधि पूर्ण होने पर चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु योग्य हो जाते है। उन्हें आगामी वर्ष की काउन्सलिंग में भाग लेकर सहायक आचार्य के पद पर यूटीबी पर कार्य करने का अवसर प्रदान किया जावेंगा। उपरोक्तानुसार प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिये संबंधित व्यक्ति को उन्हें जिस पद पर नियुक्त किया गया है, उस पद हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय देय होगा।
11. कोई छात्र/छात्रा उपरोक्तानुसार बन्धपत्र में राजकीय सेवा देने के लिये इच्छुक नही है तो वह निर्धारित बन्धपत्र राशि जमा करवाकर वह बन्धपत्र से मुक्त हो सकेगा।
12. यदि स्नातकोत्तर कोर्स करने वाले किसी छात्र/छात्रा का आगामी वर्ष हेतु सुपर–स्पेशियलिटी कोर्स में चयन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे सुपर–स्पेशियलिटी कोर्स पूर्ण करने के उपरांत 02 वर्ष की राजकीय सेवा प्रदान करने का बन्धपत्र लिया जाकर उपरोक्त सुपर–स्पेशियलिटी कार्से करने हेतु अनुमत किया जा सकेगा।
13. संबंधित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज उपरोक्त 02 वर्ष की राजकीय सेवा अवधि पूर्ण करने के उपरांत संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा रिलिज किये जायेंगे। इस हेतु उनके द्वारा प्रदान की गई राजकीय सेवा के बारे मे प्रमाण–पत्र संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे। उपरोक्त प्रमाण–पत्र के आधार पर 02 वर्ष की राजकीय सेवा का सत्यापन किया जाकर संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा उनके मूल दस्तावेज अभ्यार्थी को लौटा दिये जावेंगे। यदि अभ्यर्थी सुपर–स्पेशियलिटी कोर्स में चयनित होता है एवं उसे इन शिक्षण संस्थानों में मूल दस्तावेज की आवश्यकता होती है तो संबंधित संस्थान सीधें ही मूल दस्तावेज संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय को भिजवायेगा, जहां पर अभ्यर्थी द्वारा सुपर–स्पेशियलिटी कोर्स हेतु प्रवेश लिया जा रहा है।

14. ये आदेश राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ–साथ भविष्य में राजमेस के अधीन संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रारम्भ होने वाले स्नातकोत्तर एवं सुपर–स्पेशियलिटी कोर्स पर भी लागू होंगे।
15. काउन्सिलिंग प्रक्रिया को सम्पादित करने के लिये शीघ्र ऑनलाईन सिस्टम को निदेशालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा विकसित किया जावेगा।

यह आदेश राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों, राजमेस चिकित्सा महाविद्यालयों एवं आरयूएचएस चिकित्सा महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2019–20 एवं उसके उपरांत प्रवेश करने वाले स्नातकोत्तर एवं सुपर–स्पेशियलिटी कोर्स के उन छात्र–छात्राओं पर लागू होगा, जो पूर्व में राजकीय सेवा में नही है।

(वैभव गालरिया)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक प. 7(86)सीएम/एचएम/बजट/डीएमई/एकेड/2015/ जयपुर, दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान।
2. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं उपाध्यक्ष, राजमेस, जयपुर।
3. निदेशक, राजमेस, जयपुर।
4. निदेशक, जनस्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक (प्रशा./अकादमिक), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा/राजमेस, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा/राजमेस, जयपुर।
7. चेयरमेन, नीट स्टेट पीजी काउन्सिलिंग बोर्ड 2022
8. उप निदेशक (प्रशासन), राजमेस, जयपुर।
9. समस्त राजकीय/राजमेस प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय, राजस्थान।
10. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
11. समस्त मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
12. अन्य संबंधित
13. रक्षित पत्रावली

आयुक्त
निदेशालय चिकित्सा शिक्षा